सत्यनारायण — बनाम आदि अपील नं. 57/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible].24	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 16.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.7.24	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 16.8.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.8.24	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
1.10.24	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 16.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.10.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.10.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
22/10/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2022

1 सत्यनारायण उर्फ ताना पुत्र हेमा उम्र 70 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुप्यार बेवा मोतीलाल उम्र 78 साल
2 अर्जुनलाल पुत्र स्व. मोतीलाल उम्र 62 साल
3 गोकुलचन्द पुत्र मोतीलाल उम्र 58 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 मोहनलाल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 63 साल
5 नागरमल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 58 साल
6 सांवरमल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 53 साल
7 सीताराम पुत्र प्रभुदयाल पौत्र रामेश्वर उम्र 56 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सिमारला (कोटडी) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018
मु.नं. 62/2014 बीटी नम्बर 40222017 सुप्यार आदि
बनाम सत्यानारायण आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर कैम्प सिहोड़ी
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री छगनसिह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप दिक्षित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 22.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 161 वाके ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2019, 2031 से 2033 प्रदर्श 4 से 6 एवं लगान रसीद प्रदर्श 7/1 से 7/11 को आधार मानकर अपना निर्णय व डिकी पारित की है जबकि न तो उक्त दस्तावेज में किए गए इन्द्राजात का विवेचन किया ना ही उक्त दस्तावेज वाद डिकी करने में किस प्रकार सहायक थे के बाबत कोई विश्लेषण किया ना ही खसरा गिरदावरी के आधार पर वाद स्वीकार करने का कोई कानूनी प्रावधान है उसके बावजूद भी विधि के विपरित निर्णय व डिकी पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने वाद प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया कि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.50 हैक्टेयर वाके ढाबावाली तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर पर वादीगण 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 पर व 1/3 हिस्से पर पूनम देवी काबिज काश्त है तथा इसी अनुरूप वादीगण ने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किए। उसके बावजूद भी अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित खातेदारी में से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का वाद डिक्री करके निर्णय पारित कर गंभीर कानूनी त्रुटि की गयी है। वादीगण ने अपना वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश किया था जो स्थानान्तरित होकर दिनांक 02.06.2017 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जबकि दिनांक 02.06.2017 से पहले की आदेशिका दिनांक 03.05.2017 में वाद अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने की आदेशिका नहीं है ना ही वाद ट्रांसफर किए जाने की आदेशिका नहीं है ना ही वाद ट्रांसफर किए जाने बाबत पक्षकारों व अधिवक्ता को सूचना दिए जाने का विवरण है ना ही वाद अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित होने की अपीलांट को कोई सूचना दी गयी है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का होना मान्य किया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो रामेश्वर पुत्र रूघा के वारिसान है का कोई कब्जा काश्त नहीं होना अभिकथित किया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को रामेश्वर पुत्र रूघा के नाम अंकित खातेदारी को हजफ किया जाकर उस 1/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित करना चाहिए था जबकि अपीलांट के पिता के नाम अंकित खातेदारी 1/3 में से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करने की कानूनी भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी संवत 2019 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2033 प्रदर्श–6, लगान रसीद कुल 11 प्रदर्श–7/1 से 7/11, मोतीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–8 ए, जमाबन्दी संवत 2017 से 2020 पेश किये है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामील हुई है। बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंकन तो किया है किन्तु इन दस्तावेजों के अंकन से वाद वादी किस प्रकार साबित है इसका कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता हेमा की खातेदारी में थी इसके उपरांत अपीलांट के नाम दर्ज रहीं है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किए बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर